



ಕೇಂದ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ,  
ಅಂಚೆ ಸಂ.5400, ಕೇಂದ್ರೀಯ ರಾಜಸ್ವ ಭವನ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚಲ

ಪಿ.ಬಿ.ಸಂ.5400, ಕೇಂದ್ರೀಯ ರಾಜಸ್ವ ಭವನ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, BENGALURU ZONE,  
P.B.NO.5400, C.R.BUILDING, QUEEN'S ROAD, BENGALURU-560 001

ई/मैल-Email: [cexhindicell@gmail.com](mailto:cexhindicell@gmail.com)

दूरभाष/Phone: 080-22862470

फैक्स/Fax: 080-22868613

सी.सं.11/39/86/2015

दिनांक -07-2018

विषय : वर्ष 2018-2019 से सरकारी कामकाज (टिप्पण एवं आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के संबंध में।

Sub : Incentive Scheme for doing original official work (Noting & Drafting) in Hindi from the year 2018-2019 - Reg.

\*\*\*

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र एफ.सं.4031/14/2017/1023, दिनांक 25.04.2018 में दिए गए निदेशों के अनुसार, केंद्रीय कर, बेंगलूर अंचल में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो सरकारी कामकाज (टिप्पण एवं आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेसन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2018-19 से लागू होगी। केंद्रीय कर, बेंगलूर अंचल में कार्यरत सभी अधिकारीगण जो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त / कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं, तथा जो अपने मूल कार्य हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग ले सकते हैं।

हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पुरस्कार राशि

प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/- रुपए

द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/- रुपए

तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/- रुपए

अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेसन देने के लिए

प्रथम पुरस्कार (1 पुरस्कार) : 5000/- रुपए

आगे, अधिकारियों को प्रमाण-पत्र हिंदी दिवस के दौरान प्रदान किया जाएगा।

पात्रता :-

इस योजना में वे ही अधिकारी भाग ले सकते हैं जो एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 10,000 शब्द हिंदी में लिख सकते हैं। टिप्पण और आलेखन के अलावा, सभी अन्य हिंदी का कार्य अर्थात् रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ, सूचियों की तैयारी, लेखा कार्य, आदि को भी जो सत्यपित किए जा सकते हैं, उन्हें भी शामिल कर सकते हैं।

वर्ष 2018-2019 (दिनांक 1.4.2018 से 31.3.2019 तक) के लिए आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों से प्राप्त प्रपत्र (साथ संलग्नित) आपके आयुक्तालय के प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय) को दिनांक 15 अप्रैल, 2019 को या उससे पहले भेज दिया जाए। तथा वर्ष 2017-18 (दिनांक 1.4.2017 से 31.3.2018 तक) के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक प्रेषित किया जाए।

As per the Instructions of the Joint Director, Directorate General of Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, New Delhi vide letter No.F.No.4031/14/2017/1023, dated 25.04.2018, an incentive scheme for doing original work in Hindi i.e., Noting and Drafting for the Officers/Employees working under Central Tax, Bangalore Zone is being implemented from the year 2018-19. All Officers working under Central Tax, Bangalore Zone who possess Proficiency/Working Knowledge in Hindi, and doing their original work in Hindi in Noting and Drafting can participate in this incentive scheme.

**Cash awards for Noting/Drafting**

First Prize (2 prizes)	: Rs.5000/- each
Second Prize (3 prizes)	: Rs.3000/- each
Third Prize (5 prizes)	: Rs.2000/- each

**Dictation by Officers in Hindi**

First Prize (1 prize)	: Rs.5000/-
-----------------------	-------------

Further, certificates will be awarded during Hindi Day Celebrations.

**Eligibility :-**

Only those Officers who writes minimum of 10,000 words in Hindi, in a financial year can take part in this scheme. Apart from the original noting and drafting, all other Hindi works i.e., entries in registers, preparation of lists, accounts work etc., which can be verified will be taken into account.

The filled in proforma (enclosed herewith) for the year 2018-2019 (From 1.4.2018 to 31.03.2019) received from the Officers working under your charge may be obtained and forwarded to the Administrative Officer (Headquarters) of your Commissionerate on or before 15<sup>th</sup> April, 2019. And the year 2017-2018 (From 1.4.2017 to 31.03.2018) may be submitted on or before 31st July, 2018.

यह प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, बेंगलूरु अंचल के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है ।

This issues with the approval of the Principal Chief Commissioner, Central Tax, Bengaluru Zone.

(अमितेश भरत सिंह/AMITESH BHARAT SINGH)

अपर आयुक्त (प्र.मु.आ. का का.)

Additional Commissioner (PCCO)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/as above.

सेवा में/To,

**प्रधान आयुक्त/आयुक्त The Principal Commissioners/The Commissioners,**

केंद्रीय कर, बेंगलूरु-उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं लेखापरीक्षा (दक्षिण एवं पूर्व), लेखापरीक्षा(उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम), अपीलस-I/II आयुक्तालय, बेंगलूरु, मैसूर, मंगलूर व बेलगॉम, मैसूर-अपीलस, मैसूर-लेखापरीक्षा, बेलगॉम-अपीलस, बेलगॉम-लेखापरीक्षा ।

Commissioner, Central Tax, Bangalore-North, East, West, South, North-West & Audit (South & East), Audit (North & North-West), Appeals-I/II, Commissionerate, Bangalore, Mysore, Mangalore & Belgaum, Mysore-Appeals, Mysore-Audit, Belgaum-Appeals and Belgaum-Audit.

केंद्रीय कर, प्र.मुख्य आयुक्त का कार्यालय, बेंगलूरु अंचल में कार्यरत समस्त इकाइयों हेतु ।  
All Units of Central Tax, PCCO, Bangalore Zone.

प्रभारी (वेबसाइट), केंद्रीय कर, प्र.मु.आ.का का., बेंगलूरु ।  
The Incharge (Website), Central Tax, PCCO, Bengaluru.



